


प्रेस नोट थाना पिपरी

आज दिनांक 01.09.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत गुमशुदगी दिनांकित 08.08.2020 जीडी नं० 25 समय 13.42 की सुराग रसी पतारसी की गयी मृतक का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। दिनांक 10.08.2020 को जनपद फतेहपुर के थाना असोथर क्षेत्र में अज्ञात शव की शिनाक्त मृतक के परिवारीजन द्वारा की गयी, जिसमें ज्ञात हुआ कि मृतक राजीव उर्फ राजू का ही शव है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 219/2020 धारा 302/201 भादवि० थाना पिपरी जनपद कौशांबी के अज्ञात अभियुक्त का सफल अनावरण करते हुए स्वाट टीम की मदद से प्रकाश में आये अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र स्व० रामराज मौर्य निवासी नरैनी थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर एवं अभियुक्त विपिन मौर्य पुत्र स्व० श्रीपाल मौर्य निवासी पथरकटा चौराहा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर का टेरामील तिराहे पर एक एल्टो कार से साथ खड़े होने की सूचना मिली, मुखबिर खास ने बताया कि यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता कि सूचना पर विस्वास करके मैं प्र०नि० मय हमराह एवं स्वाट टीम प्रभारी मय हमराह के मौके पर पहुंच कर एक बारगी दबिस देकर घेरकर पुलिस बल द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वीरेन्द्र व विपिन उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है एवं अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम -

1. प्र०नि० विजय कुमार राय, थाना पिपरी, कौशांबी।
2. स्वाट टीम प्रभारी मय हमराह कर्मचारीगण, कौशांबी।
3. ब०उ०नि० मनोज कुमार उपाध्याय थाना पिपरी
4. हे०कां० अखिलेश सिंह थाना पिपरी जनपद कौशांबी।
5. हे०कां० विजय शंकर शुक्ला थाना पिपरी जनपद कौशांबी
6. हे०कां० आन्द शंकर सिंह थाना पिपरी जनपद कौशांबी
7. हे०कां० आशुतोष सिंह थाना पिपरी जनपद कौशांबी



प्रेस नोट थाना पूरामुफ्ती

संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चायल महोदय के कुशल निर्देशन में मुझ प्र०नि० रमेश कुमार पटेल व पूरामुफ्ती पुलिस टीम व सर्विलास टीम के साथ थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग 312/20 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे का सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम गठित की गयी थी, गठित टीम व एसओजी/सर्विलास के सार्थक प्रयास से उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 01. कमलेश उर्फ पंडित पासी पुत्र प्यारेलाल पासी उम्र करीब 22 वर्ष नि० छबिलवा थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशांबी 02. नन्दू पासी पुत्र स्व० रामचन्द्र उर्फ सन्तोष पासी उम्र करीब 18 वर्ष निवासी छबिलवा थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशांबी का नाम प्रकाश में आया तथा अभियुक्तगण कमलेश व नन्दू पासी उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।